24.9.15 पत्रावली पेश हुई/ वकील वादी /उभयपक्ष
हाजिर / पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 18.11.15 को पेश हो।
P.O महो. अन्य कार्य में व्यस्त है।

18/11/15 पत्रावली पेश हुई/ वकील वादी /उभयपक्ष
हाजिर / पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 20/11/15 को पेश हो।
P.O. अवकाश के कारण न्यायालय कार्य नहीं कर रहे हैं।

20/11/15 पत्रावली पेश हुई/ वकील वादी /उभयपक्ष
हाजिर / पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 8/12/15 को पेश हो।

अतिरिक्त कलक्टर, सांचौर

8/12/15 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 10 व 151 CPC का जवाब दिलेखे जाने बाबत पत्रावली उभय पक्ष से सुना गया। पार्टी प्रतुकम मा प्रार्थना पत्र दिनांक 25-11-15 में मुख्य आक्षेपण यह है कि इन्हीं पक्षकारान के बीच इसी न्यायालय में एक अन्य वाद दिनांक 20/11/15 उनवानी ज्यादती जबरन बेदखली किये जाने की है। दोनों वाद एवं पूर्ववर्ती वाद दोनों में पक्षकार एक समान है। अतः इसकी कार्यवाही चलने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में निरस्त की जावे।
इनके उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं दोनों पत्रावलियों का अवलोकन किया।

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख जबकि जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

इकरारवाड़ अंक्रा 265/11 उनवानी
आराम बनाम श्रीराम व पूर्वगामी
वाद अंक्रा 201/2011 उनवानी रामरती
बनाम श्रीराम इसी न्यायालय में
विचाराधीन है उक्त दोनों वादों में पक्षकारान
एक समान ही है तथा विवादित आराजियात
व विषय वस्तु एक समान ही है। अर्थात
दोनों वादों का अनुतोष मुख्य रूप से
एक समान ही होने से वाद में निर्णय के
पश्च समाधानपूर्ण निर्णय में विलम्ब न हो
अर्थात दोनों वादों का वाद निराकरण में निर्णय
की एकसमानता को देखते हुए न्यायहित
में अर्जी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10
व 151 सि.प्र.सं. अंक्रा 254/1-11 स्वीकार किये
जाने योग्य है। अतः यह प्रार्थना पत्र
स्वीकार का इकरारवाड़ की कार्यवाही रोक
दी जाती है तथा यह वाद इस न्यायालय
में विचाराधीन वाद अंक्रा 201/2011
उनवानी रामरती बनाम श्रीराम क्रॉस के
संलग्न किये जाने के आदेश किये जाते है।

सहायक कलक्टर, सीकर

निर्णय आज दिनांक 8-12-2015 को
सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner